संख्या-30/2019/609/12-5-2019-सा0-01/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 09 मई, 2019**

विषयः-''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)'' योजनान्तर्गत अवशेष रह गये पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019, शासनादेश संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 06 फरवरी, 2019, सपठित शुद्धि पत्र संख्या-9/2019/204(2)/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 07 फरवरी, 2019, शासनादेश संख्या-31-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 05 अप्रैल, 2019 एवं शासनादेश संख्या-26/2019/36-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 08 अप्रैल, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए पात्र लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही दिनांक 20 फरवरी, 2019 तक पूर्ण करते हुए दिनांक 22 फरवरी, 2019 तक उसे प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल, 2019 द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि पी0एम0-किसान योजनान्तर्गत देश के लाभान्वित कृषकों जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में रू0 2,000/- की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, द्वितीय किस्त के प्रेषण से पूर्व सही लाभान्वित कृषकों के आधार नम्बर अनिवार्य रूप से संबंधित पोर्टल पर दर्ज कराये जाय साथ ही शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी0एम0-किसान) के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों के साथ लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/डाटा को विधिवत डिजिटाइज्ड किया जाये और मॉगे जाने पर संबंधित अधिकारी के सम्मुख उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र के डिजिटाइजेशन के पश्चात डाटा बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से सुरक्षित रखा जाय।

2- चूंकि शासनादेश दिनांक 05.02.2019 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी, अतः अवशेष पात्र लाभार्थियों के चयन/चिन्हांकन की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 05.02.2019 एवं 06.02.2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत 15 जून 2019 तक पूर्ण कर ली जाय। अवशेष पात्र लाभार्थियों के चयन/चिन्हांकन के समय उनका आधार नम्बर अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय। अवशेष पात्र लाभार्थियों के चयनोपरान्त उनके द्वारा आवश्यक अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये गये विवरण/डाटा को विधिवत डिजिटाइज्ड किया जाय तथा लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र को डिजिटाइजेशन के पश्चात डाटा बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से सुरक्षित रखा जाय। घोषणा पत्र एवं अन्य कागजातो की हॉर्ड कॉपी को तहसील के अभिलेखागार में राजस्व ग्रामवार संरक्षित किया जाए।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-30/2019/609(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके उपर्युक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 01.02.2019 के संदर्भ में।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।